खारीज

2.7.2025

(2025/37)

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

रजीराम बनाम कृष्णलाल

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 06 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.01.2025	प्रार्थी रजीराम की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा धन्नासर के ख.नं. 526/334 की 3.795 है. व ख.नं. 524/334 की 7.590 है0 भूमि की प्रार्थी व अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने, खड़ी फसल को नुकसान कारित करने एवं निर्माण कार्य करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 17.02.2025 को पेश हो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
17.2.2025	[illegible] दिनांक 24.4.2025	
24.4.2025	[illegible] दिनांक 24.6.2025	
24.6.2025	[illegible] दिनांक 2.7.2025	
2.7.2025	[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

रजीराम
2/7/2025